नैनीताल में उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में

आवेदन सं. की समीक्षा 2010 का 1003

लिखित याचिका सं। 2009 का 211 (एस/बी)

गोपाल सिंह मेहरा और एक अन्य याचिकाकर्ताओं

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के वकील श्री आलोक मेहरा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी।श्री K.P. उपाध्याय, एडिशनल।मुख्य स्थायी वकील (सरकार। उत्तराखंड का) प्रतिवादी सं. 1 और 2।निर्णय की तारीखः15.03.2011

श्री रवि बाबुलकर, समीक्षा आवेदक के अधिवक्ता।

न्याय

कोरमः माननीय बारीन घोष, C.J। माननीय सुधांशु धूलिया, जे.

बैरीन घोष, C.J। (ORAL)

विलम्ब निरोध आवेदन सं। 2011 का 1747

समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता देने में देरी की माफी के लिए आवेदन में किए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए और उसमें दिए गए कारणों से संतुष्ट होने पर, हम आवेदन की अनुमति देते हैं।
आवेदन सं. की समीक्षा 2010 का 1003

स्वीकार करें।पक्षों की सहमति से, समीक्षा आवेदन सुनवाई के लिए लिया जाता है।

मौजूदा समीक्षा आवेदन का पूरा उद्देश्य मामले पर फिर से बहस करना है।
यह तर्क देना जा रहा है कि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं माना कि वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता नियम, 1991 का नियम 6 लागू होगा।चूंकि इस आधार पर समीक्षा उपलब्ध नहीं है, इसलिए समीक्षा आवेदन बनाए अनुरक्षणीय नहीं है।दूसरा दलील यह है कि जवाबी शपथ पत्र दायर किए जाने के बाद, लेकिन निर्णय दिए जाने से पहले, समीक्षा आवेदक की वरिष्ठता के संबंध में कुछ अन्य निर्णय लिया गया था, जिसे इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया जा सका।चूँकि यह समीक्षा आवेदक की जानकारी में था, इसलिए उसकी ओर से इसे इस न्यायालय के ध्यान में लाना अनिवार्य था।कि, नहीं किए जाने के बाद, समीक्षा को नियंत्रित करने वाला कानून उस आधार पर समीक्षा की अनुमति नहीं देता है।

तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

(सुधांशु धूलिया, जे.) (बारीन घोष, C.J.) 15.03.2011 15.03.2011 अमित